Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 11, Issue 2 | November 2023 - April 2024 | pp. 43-52

हिन्दू अविभाजित परिवार : एक कर नियोजन उपकरण

Research Reinforcement
ISSN 2348-3857

डॉ. अनूप कुमावत

सहायक आचार्य, लेखाशास्त्र एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

भारत में ऐसी संस्कृति व्याप्त है जहां किसी व्यक्ति की आय पर भी संयुक्त आय के रूप में कर लगाया जाता है। आय पर कर भार समग्र रूप से परिवार पर लगाया जाता है। भारत में एच.यू.एफ. सम्बन्धित प्रावधान जो विशेष रूप से हिंदू परिवार के लिए ही उपलब्ध है, जिसके तहत जब एक हिंदू पुरुष शादी करता है, तो वह एक हिंदू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) बनाने के लिए पात्र हो जाता है। हिंदू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) भारत में एक अनूठी कर इकाई है जो कर-बचत का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। प्रस्तुत अध्ययन की प्रकृति वर्णात्मक है और यह शोध पत्र मुख्यतः सन्दर्भ पुस्तकों, प्रकाशनों, लेखों, वेबसाइटों एवं आयकर सम्बन्धित अधिनियम व नियमों से एकत्रित किए गए द्वितीयक समंकों/सूचनाओं के साथ ही विभिन्न कर विशेषज्ञों से की गई चर्चाओं पर आधारित है। आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत एक हिन्दू अविभाजित परिवार को एक व्यष्टि करदाता के समान ही आयकर छूट सीमा और कटौतीयों का लाभ प्राप्त होता है। अतः आज के वर्तमान समय में एक हिन्दू परिवार द्वारा एच.यू.एफ. का गठन करते हुए कर नियोजन करने का प्रचलन बढ़ने लगा है। इस शोध पत्र का मुख्य उदेश्य एच.यू.एफ. की अवधारणा एवं उसके गठन, एच.यू.एफ. के लाभों और हानियों आदि को समझना है और इसके अतिरिक्त इसमें एक व्यष्टि करदाता कैसे एक एच.यू.एफ. का गठन करके कुल देय कर में कमी कर सकता है, इसे उदाहरणों की सहायता से पुरानी कर दर योजना और नई कर दर योजना के अनुसार समझाया गया है।

संकेताक्षर—*एच.यू.एफ., कर्ता, सदस्य, कर-नियोजन, कर-दायित्व*

प्रस्तावना

यह सत्य है कि हर करदाता/व्यक्ति स्वयं का आयकर बचाने में रूचि रखता है। कर को बचाने या कम चुकाने के वैध और अवैध दोनों तरीके होते है। परन्तु अवैध तरीके कर नियोजन की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होते हैं बल्कि वह कर चोरी की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं जिसकी हमेशा से निंदा होती रही है। कोई भी करदाता/व्यक्ति आयकर बचाने के कानूनी तरीकों के साथ आगे बढ़ सकता है और यह तभी संभव है जब वह करदाता/व्यक्ति आयकर अधिनियम, 1961 में निहित प्रावधानों के तहत उन संकेतकों का पता लगाएं जो कि उस करदाता की परिस्थितियों के अनुसार फायदेमंद हो। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(31) में व्यक्ति को परिभाषित किया गया है जिसमें एच.यू.एफ. को भी शामिल किया गया है। अतः धारा 2(7) के अन्तर्गत एच.यू.एफ. एक अलग कर योग्य संस्था है। भारत में एच.यू.एफ. का मतलब हिन्दू अविभाजित परिवार है। एच.यू.एफ. (हिन्दू अविभाजित परिवार) की धारणा भारत में विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि भारत में संयुक्त परिवार मौजूद हैं। उक्त अधिनियम में एच.यू.एफ. को अलग व्यक्ति माना गया है। एक व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर एच.यू.एफ. का निर्माण कर सकता है। एक एच.यू.एफ. पर उसके सदस्यों से अलग कर लगता है। इसलिए एक पारिवारिक इकाई बनाकर और सम्पत्तियों को एकत्रित

ISSN 2348-3857

करके एच.यू.एफ. बनाकर देय आयकर को कम किया जा सकता है। आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पुरानी कर दर योजना एवं नई कर दर योजना में एक व्यक्ति की बेसिक छूट सीमा क्रमशः रु. 2,50,000 और रु. 3,00,000 है परन्तु वह व्यक्ति परिवार के सदस्यों को शामिल कर एच.यू.एफ. का निर्माण कर उसके लिए प्रतिवर्ष के लिए रु. 2,50,000 या रु. 3,00,000 की बेसिक छूट सीमा अतरिक्त प्राप्त करते हुए कर-नियोजन कर सकता है। बेसिक छुट सीमा के अतिरिक्त एच.यू.एफ. आयकर अधिनियम, 1961 की विभिन्न धारों के तहत कटौतीयों का लाभ प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार भारत में हर व्यक्ति जो कि आयकर देता है और परिवार में रहता है वो एच.यू.एफ. का निर्माण कर कर-नियोजन कर सकता है। एच.यू.एफ. के माध्यम से कर-नियोजन करने पर सरकार द्वारा समय-समय पर कानून में संशोधन करके रोक लागने का प्रयास किया है। परन्तु इसके बावजूद एच.यू.एफ. आज भी कर-नियोजन के लिए काफी उपयोगी माना जाता है। संक्षेप में, एक हिन्दू परिवार एक साथ आकर एच.यू.एफ. का गठन कर सकता है। बौद्ध, जैन और सिख भी एक एच.यू.एफ. बना सकते है। एच.यू.एफ. को एक कुशल कर बचत उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जिसका उपयोग उचित कर योजना द्वारा करों को कम करने में तेजी से किया जा रहा है।

अध्ययन के उदेश्य

1. हिन्दू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) की अवधारणा और उसके गठन को समझना
2. एच.यू.एफ. के लाभों और हानियों पर प्रकाश डालना
3. एक एच.यू.एफ. को आय कर अधिनियम, 1961 के तहत प्राप्त छुटें व कटौतीयाँ और एच.यू.एफ. का आय-कर निर्धारण के लिए मुख्य बिन्दुओं का अध्ययन
4. एच.यू.एफ. के माध्यम से कर नियोजन को उदाहरण सहित समझना।

शोध विधि

यह अध्ययन द्वितीयक समंकों/सूचनाओं और आयकर के क्षेत्र में अभ्यास करने वाले प्रतिष्ठित पेशावर यथा सनदी लेखाकार, लागत व प्रबन्ध लेखाकार, कम्पनी सचिव एवं वकील इत्यादि के साथ की गई चर्चाओं के आधार पर किया गया है। आयकर अधिनयम, 1961 के अन्तर्गत एक एच.यू.एफ. को प्राप्त छूटें व कटौतीयों और इससे संबंधित जानकारी और सूचना विभिन्न आयकर सम्बन्धी प्रकाशित व अप्रकाशित रिपोर्टों/शोध रिपोर्टों से एकत्र/संकलित किया गया है। विस्तृत अध्ययन के लिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी/समंक/सूचना आयकर अधिनियम व इससे सम्बन्धित नियमों, कोर्ट के निर्णय, विभिन्न समाचार पत्रों व पुस्तकों, आयकर में कर-निर्धारण पर प्रकाशित शोध पत्रों एवं आयकर की वेबसाइट से एकत्र किया गया है।

हिन्दू अविभाजित परिवार की अवधारणा

आयकर कर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत 'हिन्दू अविभाजित परिवार' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन हिन्दू कानून के अन्तर्गत इसे एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें 'एक समान पूर्वज से उत्पन्न वंश के सभी व्यक्ति और उसमें उनकी पत्नियाँ तथा अविवाहित पुत्रियाँ शामिल है। हिन्दू अविभाजित परिवार का गठन परिवार के कर्ता द्वारा किया जाता है। उस एच.यू.एफ. का कर्ता उस परिवार का सबसे वरिष्टतम पुरुष सदस्य होता है तथा उसी के नाम पर एच.यू.एफ. बनाने के लिए आवश्यक है कि उसके पास पूर्वजों की कोई सम्पति हो या पूर्वजों की सम्पत्ति से कोई आय हो। यदि किसी के पास पूर्वजों की कोई सम्पति नहीं है तो भी वह कर-नियोजन के उदेश्य से एच.यू.एफ. का गठन कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई परिवार यदि संयुक्त रूप से कोई काम करता है और उस संयुक्त मेहनत से कोई आय अर्जित होती है तब सभी सदस्य लिखित में यह घोषणा करने को तैयार है कि इससे अर्जित होने वाली सम्पति एवं आय इनकी व्यक्तिगत नहीं होकर एच.यू.एफ. की होगी तो उससे अर्जित होने वाली सम्पत्ति एवं आय पर एच.यू.एफ. में ही कर लगेगा न कि व्यक्तिगत। कानूनी दृष्टि से एच.यू.एफ. एक अलग इकाई है। एच.यू.एफ. के सदस्यों के पास अलग-अलग पैन नंबर होता है और एच.यू.एफ. के पास अपना अलग पैन नंबर होता है। जनवरी, 2016 तक कोई महिला एच.यू.एफ. की कर्ता नहीं हो सकती थी। परन्तु दिल्ली उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक मामले में एक महिला को एच.यू.एफ. कर्ता होने के पक्ष में फैसला सुनाया। जब कर्ता का निधन हो जाता है या वह सेवानिवृत हो जाता है तो उस परिवार का सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति उस एच.यू.एफ. का अगला कर्ता बन जाता है और वह एच.यू.एफ. बिना सम्पत्ति वितरण के पहले की तरह जारी रहती है।

हिन्दू अविभाजित परिवार का गठन

सामन्यतः कोई भी विवाहित व्यक्ति अपनी स्वयं की एच.यू.एफ. गठित कर सकता है। इसके लिए उसके बच्चे होना आवश्यक नहीं है। परन्तु बच्चे जन्म लेते ही स्वतः ही उस एच.यू.एफ. के सदस्य बन जाते है। कोई भी अविवाहित व्यक्ति एक एच.यू.एफ. का गठन नहीं कर सकता है। एक महिला एच.यू.एफ. नहीं बना सकती परन्तु वह कर्ता बन सकती है। पिता के निधन के बाद, उसकी पत्नी या बेटी कर्ता बन सकती है।

एक एच.यू.एफ. का गठन निम्न तरीके से किया जा सकता है—

(1) उपहार द्वारा—यदि किसी एच.यू.एफ. का गठन करना है और कोई पैतृक सम्पत्ति नहीं है तो किसी बाहरी व्यक्ति से एक राशि उपहार के रूप में लेकर उस उपहार राशि से एच.यू.एफ. गठित की जा सकती है। परन्तु उपहार लेते समय उसकी पंजीकृत उपहार विलेख अवश्य तैयार कर लेना चाहिए। उस विलेख में इस बात का अवश्य उल्लेख हो कि उपहार एच.यू.एफ. को दी जा रही है न कि किसी व्यक्ति को।

(2) वसीयत द्वारा—किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखित वसीयत के माध्यम से कोई भी सम्पत्ति प्राप्त करके एच.यू.एफ. का गठन किया जा सकता है परन्तु यह आवश्यक है कि वसीयत एच.यू.एफ. के पक्ष में विशेष रूप से लिखी गई है। यदि वसीयत में एच.यू.एफ. का हवाला नहीं दिया गया है तो उससे एच.यू.एफ. का गठन नहीं किया जा सकता है। यह जरुरी नहीं है कि वसीयत कोई रिश्तेदार या परिवार का सदस्य ही करे बल्कि बाहरी व्यक्ति भी कर सकता है।

(3) कृषि आय द्वारा—यदि किसी व्यक्ति के पास पैतृक कृषि भूमि है तो उस सम्पत्ति/उससे होने वाली आय को लेकर एक एच.यू.एफ. का गठन किया जा सकता है। उक्त भूमि से होने वाली आय करदाता की व्यक्तिगत आय नहीं होकर उस संयुक्त परिवार की होती है।

(4) एक वृहद एच.यू.एफ. का बंटवारा करके—यदि एक बड़े परिवार की एच.यू.एफ. अस्तित्व में है तो उस बड़ी एच.यू.एफ. का पूरा बंटवारा करके उस एच.यू.एफ. से सदस्य स्वयं की एक छोटी एच.यू.एफ. का निर्माण कर सकते है। इस बंटवारे से प्राप्त सम्पति उस छोटी एच.यू.एफ. की मानी जायेगी ना कि व्यक्तिगत। उक्त बंटवारे का पंजीकृत विलेख होना आवश्यक है और इसकी सूचना आय कर विभाग को भी दी जानी चाहिए। यदि उक्त बंटवारे से किसी अविवाहित को कोई सम्पति मिलती है तो उसके विवाह के उपरांत वह सम्पत्ति एच.यू.एफ. में स्वतः शामिल हो जायेगी।

एक एच.यू.एफ. का निर्माण करते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान रखना आवश्यक है—

1. एक एच.यू.एफ. का निर्माण एक अकेले व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है, इसे केवल एक परिवार द्वारा ही बनाया जा सकता है।
2. विवाह के समय एक एच.यू.एफ. स्वतः ही बन जाता है।
3. एक एच.यू.एफ. में सामान्यतः पूर्वज और उसके सभी वंशज शामिल होते है, जिनमें उनकी पत्नियाँ और अविवाहित पुत्रियाँ भी शामिल होती है।
4. हिन्दू, बौद्ध, जैन और सिख एक एच.यू.एफ. बना सकते है।
5. एच.यू.एफ. के पास आमतौर पर ऐसी सम्पत्ति होती है जो उपहार, वसीयत या पैतृक सम्पत्ति के रूप में आती है या संयुक्त परिवार की सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त सम्पत्ति या एच.यू.एफ. के सदस्यों द्वारा आम पूल में योगदान की गई सम्पत्ति के रूप में आती है।
6. एक बार एच.यू.एफ. का निर्माण हो जाता है तब उसे औपचारिक रूप से उसके नाम पर पंजीकृत किया जाना चाहिए। एक एच.यू.एफ. के पास वैध/कानूनी विलेख होना चाहिए। विलेख में एच.यू.एफ. के सभी सदस्यों और एच.यू.एफ. के व्यवसाय का विवरण शामिल होना चाहिए। साथ ही एच.यू.एफ. के नाम से एक स्थायी खाता संख्या (पैन नंबर) और एक बैंक खाता भी खोला जाना चाहिए। इन चरणों के पूरा होने पर, एच.यू.एफ. को आधिकारिक तौर पर एक अलग कानूनी इकाई के रूप में मान्यता दी जाती है जो एच.यू.एफ. को अपने नाम से संपत्ति रखने, अनुबंध करने और उसमें व्यवसाय संचालित करने की अनुमति देता है।
7. एच.यू.एफ. के सदस्य एच.यू.एफ. के कॉर्पस या फंड के सामान्य पूल में योगदान कर सकते है। कर्ता द्वारा सामूहिक संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है और इसका

उपयोग परिवार के कल्याण, निवेश, और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।

एच.यू.एफ. के लाभ

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत एच.यू.एफ. एक अलग इकाई है। एच.यू.एफ. का अलग से स्थायी खाता संख्या (पैन नंबर) होता है। एच.यू.एफ. का निर्माण करने के निम्नलिखित लाभ होते है—

1. एच.यू.एफ. का अलग से पैन नंबर होने से एक एच.यू.एफ. आय उत्पन्न करने के लिए अपना स्वंय का व्यवसाय चला सकता है।
2. एच.यू.एफ. अपने सदस्यों से अलग आयकर विवरणी भर के आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कटौतीयों और अन्य छूटों का दावा कर सकता है।
3. एच.यू.एफ. का कोई सदस्य एच.यू.एफ. के व्यवसाय में मदद/कार्य करता है तो एच.यू.एफ. उसे उसके बदले वेतन/मजदूरी दे सकता है तथा इस खर्चे की एच.यू.एफ. की आय में से कटौती प्राप्त कर सकता है।
4. एच.यू.एफ. अपनी आय में से धन को शेयर्स, म्यूच्यूअल फंड्स इत्यादि में निवेश कर आय अर्जित कर सकता है।
5. आयकर कानून में एक निर्धारित राशि तक आय होने पर कोई कर नहीं चुकाया जाता है। एक एच.यू.एफ. पर कर की दर एक व्यक्ति पर लगने वाले कर की दर के समान ही होती है। अर्थात् एक एच.यू.एफ. को भी एक व्यक्ति के समान ही रु. 2,50,000 या रु. 3,00,000 तक की आय पर कोई कर नहीं चुकाना होता है। एच.यू.एफ. की आय में वृद्धि होने पर निर्धारित स्लेब के अनुसार कर की गणना की जाती है। एच.यू.एफ. के रूप में अलग विवरणी भरने से इस छुट एवं स्लेब का लाभ उठाया जा सकता है।
6. यदि एक एच.यू.एफ. कोई ऋण लेती है तो उस पर चुकाने वाले ब्याज पर कोई टी.डी.एस. नहीं काटना होता है यदि उस एच.यू.एफ. की बिक्री रु. 1 करोड़ से कम है। इसी प्रकार यदि बिक्री रु. 1 करोड़ से कम है तो उस एच.यू.एफ. द्वारा कांट्रेक्टर को करने वाले भुगतान, कमीशन के भुगतान, फीस के भगतान आदि पर टी.डी.एस. नहीं काटना होता है।
7. यदि एच.यू.एफ. अपने लाभ पर कर चुकाने के बाद उस राशि को अपने सदस्यों को वितरित करती है तो सदस्यों के लिए ऐसी आय कर मुक्त मानी जायेगी।
8. यदि कोई अचल सम्पति एच.यू.एफ. में ले रखी है तथा एच.यू.एफ. उसे बेचना चाहती है तो उस स्थिति में एच.यू.एफ. का पूर्ण बंटवारा कर बेचने से प्रत्येक सदस्य के हाथ में जो राशि आएगी उस राशि को आगे मकान सम्पति में उस सदस्य द्वारा स्वयं के नाम से निवेश करने से पूँजीगत लाभ से छूट मिल सकती है जिससे कर की राशि को तुलनात्मक रूप से कम किया जा सकता है।
9. यदि एक एच.यू.एफ. का व्यवसाय, पूंजी या निवेश बढ़ रहा है तो ऐसा विस्तार एच.यू.एफ. के सदस्यों को ऋण देकर एच.यू.एफ. के सदस्यों के व्यक्तिगत नाम पर किया जा सकता है। एच.यू.एफ. दिये गए ऋण पर ब्याज ले भी सकता है और नहीं भी।

एच.यू.एफ. के नुकसान

एच.यू.एफ. बनाने के फायदे ही नहीं बल्कि नुकसान भी होते है जो निम्नलिखित है—

1. एच.यू.एफ. बनाने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि एच.यू.एफ. की हर सम्पत्ति पर उसके सभी सदस्यों का समान अधिकार होता है। सम्पत्ति को सभी सदस्यों की सहमति के बिना बेचा नहीं जा सकता है। जन्म या विवाह के माध्यम से परिवार में कोई भी अतिरिक्त व्यक्ति एच.यू.एफ. का सदस्य बन जाता है तो उसे समान अधिकार मिलते है।
2. एक एच.यू.एफ. खोलने से ज्यादा उसे बन्द करना अत्यधिक कठिन है। एच.यू.एफ. को विघटित करने का एक मात्र तरीका विभाजन है। सभी सदस्यों को एच.यू.एफ. भंग करने के लिए सहमत होना आवश्यक है। एच.यू.एफ. के विभाजन पर सम्पत्ति सभी सदस्यों के बीच वितरित की जाती है जिससे बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो जाते है और साथ ही अनेकों बार बहुत सारी कानूनी अड़चनें भी सामने आ जाती है।
3. एच.यू.एफ. को आयकर की दृष्टि से एक अलग कर इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। परन्तु, आज

के वर्तमान समय में, एकल परिवार को आदर्श माना जा रहा है इसलिए एच.यू.एफ. अपनी प्रासंगिकता खो रहा है।

4. जब एक बार एच.यू.एफ. का गठन हो जाता है तो उसके बाद उसकी प्रति वर्ष आयकर विवरणी भी दाखिल करनी होती है। और ये तब तक जारी रहता है जब तक उस एच.यू.एफ. का विभाजन न हो जाये। विभाजन की स्थिति में, विभाजित की गई सम्पत्ति से होने वाली आय पर सदस्य की व्यक्तिगत आय के रूप में कर लगाया जाता है। यदि सदस्य अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर नई एच.यू.एफ. का गठन कर लेता है तो मूल एच.यू.एफ. से हस्तांतरित सम्पत्ति की आय पर नये एच.यू.एफ. के हाथों में कर लगाया जाता है।

एच.यू.एफ. के कर्ता, सहदायिक और सदस्य की स्थिति

एक संयुक्त हिन्दू परिवार के मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को कर्ता कहा जाता है। एच.यू.एफ. के वरिष्ठतम पुरुष सदस्य को कर्ता या प्रबंधक कहा जाता है। कर्ता के परिवार के सभी सदस्य एच.यू.एफ. के सदस्य हो सकते है। पुरुष सदस्यों को कोपार्सनर कहा जाता है, जबकि महिलाओं को सिर्फ सदस्य कहा जाता है। दोनों के बीच अन्तर यह है कि कोई भी कोपार्सनर एच.यू.एफ. के विभाजन की माँग कर सकता है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर, जिन्होंने अविवाहित बेटियों को कोपार्सनर के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है, देश के अधिकांश हिस्सों में महिला सदस्यों को यह अधिकार नहीं है। 9 सितम्बर, 2005 को लागू हुए हिन्दू उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 ने बेटियों को बेटों के समान अधिकार देकर इस लिंग भेदभाव को दूर कर दिया। बेटियां जन्म के समय ही बेटों के समान ही अपने पिता के परिवार की कोपार्सनर सदस्य बन जाती हैं और परिवार की सम्पत्तियों में बेटों के समान अधिकार रखती है। उसकी शादी के बाद भी वह अपने पिता के एच.यू.एफ. की सहदायिक बनी रह सकती है। हालाँकि, वह अपने पति के एच.यू.एफ. की केवल सदस्य होगी। एक परिवार के सभी सदस्य, जिनमें पत्नी, बच्चे, उनकी पत्नियाँ और उनके बच्चे शामिल हैं, एच.यू.एफ. के सदस्य हो सकते हैं। पुरुष सदस्यों को सहदायिक कहा जाता है जबकि एच.यू.एफ. की महिला सदस्यों को सदस्य कहा जाता है। कोपार्सनर को विभाजन मांगने और एच.यू.एफ. का कर्ता बनने का अधिकार है। जबकि, सदस्यों को एच.यू.एफ. कोष से भरण-पोषण प्राप्त करने और विभाजन के समय अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन विभाजन मांगने और एच.यू.एफ. का कर्ता बनने का अधिकार नहीं है।

एच.यू.एफ. के लिए आय के शीर्षक

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत एक एच.यू.एफ. की आय निम्नलिखित शीर्षकों में शामिल की जाती है—

(1) मकान सम्पत्ति से आय

(2) पूँजीगत लाभ से आय

(3) व्यापार या पेशे से आय

(4) अन्य स्त्रोतों से आय

चूँकि एच.यू.एफ. को एक कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है इसलिए उसकी वेतन से आय नहीं हो सकती है।

एच.यू.एफ. एवं कर-नियोजन

(1) आयकर अधिनियम के तहत एक एच.यू.एफ. को कर निर्धारण की दृष्टि से एक अलग इकाई के रूप में माना जाता है। जिससे वह एच.यू.एफ. अपने सदस्यों के अतरिक्त एक व्यष्टि करदाता के समान पुरानी कर दर योजना के अन्तर्गत रु. 2,50,000 तक और नई कर दर योजना के तहत रु. 3,00,000 तक की आय पर कर से मुक्ति मिल जाती है। एक एच.यू.एफ. पर व्यष्टि करदाता पर लागू कर सीमा/दरें से ही कर लगाया जाता है।

(2) एक व्यष्टि करदाता की तरह ही एक एच.यू.एफ. की स्वयं के रहने वाली सम्पत्ति का सकल वार्षिक मूल्य शून्य ही माना जायेगा। तथा यदि उस सम्पति/मकान को ऋण लेकर बनाया है तो एच.यू.एफ. एक वित्तीय वर्ष में उस ऋण पर चुकाये गये ब्याज की अधिकतम रु. 2,00,000 की कटौती प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि एच.यू.एफ. ने मकान को किराये पर दिया है तो किराये की आय में से भी मकान बनाने हेतु लिए गये ऋण पर चुकाये गये ब्याज की कटौती बिना किसी सीमा के प्राप्त कर सकता है। साथ ही मानक कटौती का भी लाभ प्राप्त करेगा।

(3) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत एच.यू.एफ. एक अलग इकाई मानने के कारण वह अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत अपने सदस्यों के अतिरिक्त अलग-अलग कटौती का लाभ उठा सकता है। जैसे धारा-80सी के तहत रु. 1,50,000 तक, परिवार के सदस्यों के लिए मेडिक्लेम पालिसी की दशा में धारा-80डी के तहत रु. 25,000 तक और इसमें यदि कोई सदस्य वरिष्ठ नागरिक है तो रु. 50,000 तक, धारा-80 टी.टी.ए. के तहत बचत बैंक खाते से प्राप्त ब्याज की दशा में रु. 10,000 तक और वरिष्ठ नागरिकों के लिए धारा-80 टी.टी.बी. में रु. 50,000 तक। इसलिए, एक एच.यू.एफ. अपने कर्ता एवं सदस्यों की व्यक्तिगत कटौतियों के अतिरिक्त इन कटौतियों का लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके लिए एच.यू. एफ. के कर्ता एवं सदस्य अपने व्यक्तिगत पैन नंबर के अलावा उस एच.यू.एफ. के नाम से अलग पैन नंबर प्राप्त करेंगे ताकि आयकर विवरणी दाखिल करके उक्त कटौतियों का लाभ प्राप्त किया जा सके।

(4) एक व्यष्टि करदाता के समान ही एक एच.यू.एफ. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54, 54बी, 54एफ और 54ईसी के तहत पूंजीगत लाभ की छूट का दावा कर सकता है।

(5) आश्रित या विकलांग परिवार सदस्यों के चिकित्सा उपचार के संबंध में एच.यू.एफ. को कटौती उपलब्ध है। दान के संबंध में भी एच.यू.एफ. द्वारा धारा 80जी के तहत कटौती का दावा किया जा सकता है।

(6) एक एच.यू.एफ. अपने नाम से एक अलग डीमैट खाता खुलवा सकता है और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (एस.टी.टी. भुगतान) पर 15: की कर दर का लाभ प्राप्त कर सकता हैं। एक एच.यू.एफ. म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकता है।

(7) एक एच.यू.एफ. व्यवसाय कर सकता है लेकिन पेशा नहीं, लेकिन फंड एच.यू.एफ. का होना चाहिए और वह एच.यू. एफ. अपने कर्ता और परिवार के अन्य सदस्यों को वेतन/ पारिश्रमिक दे सकता है। उक्त खर्चे की कटौती अपने व्यवसाय की आय से प्राप्त कर सकता है।

(8) एक हिन्दू अविभाजित परिवार को कर निर्धारण के अन्तर्गत धारा 80 सी.सी.सी., 80 ई., 80 जी.जी., 80 आर., 80 आर.आर., 80 आर.आर.ए. और 80 यू. की कटौती नहीं मिलती है।

(9) एक हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्ता या किसी सदस्य के सक्रिय रूप में कार्य करने पर हिन्दू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) द्वारा कर्ता अथवा सदस्य को दिये गये वेतन, बोनस, कमीशन अथवा पारिश्रमिक की व्यय के रूप में कटौती मिलती है। इसके अतिरिक्त यदि एक एच.यू.एफ. के कर्ता अथवा किसी सदस्य द्वारा उस एच.यू.एफ. को कोई ऋण दिया गया हो या व्यापार चलाने के लिए मकान/कार्यालय/ खाली जगह दिया गया हो तो एच.यू.एफ. द्वारा ऐसे ऋण पर ब्याज एवं किराया व्यय भी स्वीकृत होंगे।

(10) यदि भारत में स्थित कृषि से आय होती है तो आय अन्य करदाताओं (व्यष्टि) की तरह हिन्दू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए भी कर मुक्त होगी तथा कर दायित्व की अन्य करदाताओं के समान ही गणना की जायेगी।

(11) यदि एक हिन्दू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) को किसी साझेदारी संस्था में लाभ में से हिस्सा प्राप्त हुआ है तो यह आय स्पष्ट रूप से कर मुक्त आय होगी। अन्य शब्दों में, हिन्दू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) की आय में नहीं जोड़ी जायेगी। इसके अतरिक्त यदि साझेदारी संस्था से एच.यू. एफ. को पूँजी पर ब्याज की आय हुई है एवं फर्म साझेदारी संस्था को ऐसे ब्याज पर व्यय के रूप में कटौती मिली है तो वह व्यय एच.यू.एफ. की व्यवसाय से आय मानी जायेगी। यदि एच.यू.एफ. द्वारा पूँजी लगाकर साझेदारी प्राप्त करने पर किसी सदस्य के सक्रिय रूप से कार्य करने पर साझेदारी संस्था से प्राप्त वेतन, कमीशन, बोनस सदस्य की व्यक्तिगत आय होगी न की एच.यू.एफ. की।

(12) स्त्री धन से प्राप्त आय स्त्री की व्यक्तिगत आय होगी न की एच.यू.एफ. की।

उदाहरण-1

श्री मोहन (आयु 45 वर्ष) एक वेतनभोगी व्यक्ति है और उन्हें वित्तीय वर्ष 2023-24 में रु. 12,00,000 वेतन प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त उनकी आय में निवेश से प्राप्त ब्याज के रु. 8,00,000 शामिल है। वह अपने परिवार के लिए रु. 80,000 का एल.आई.सी. प्रीमियम का भुगतान करते है और सार्वजनिक भविष्य निधि (पी.पी.एफ.) में रु. 1,00,000 जमा/निवेश करते हैं। उसका नियोक्ता/कम्पनी उसके वेतन में से भविष्य निधि (पी.एफ.) के लिए 1,50,000 रुपये की कटौती करती है। वह स्वयं और अपने परिवार के लिए मेडिकल बीमा प्रीमियम के लिए रु. 20,000 का भुगतान करते है।

परिदृश्य-1 : जब ब्याज की आय को श्री मोहन की आय मानी जाये तो कुल कर दायित्व की गणना

तालिका 1 : श्री मोहन की कुल कर योग्य आय एवं आयकर की गणना

क्र. सं.	विवरण	राशि (पुरानी कर दर योजना) (रु.)	राशि (नई कर दर योजना) (रु.)
(1)	वेतन से आय - मानक कटौती (रु. 12,00,000 - रु. 50,000)	11,50,000	11,50,000
(2)	ब्याज से आय	8,00,000	8,00,000
(3)	सकल कुल आय (1+2)	19,50,000	19,50,000
(4)	धारा 80 सी के तहत कटौती	1,50,000	-
(5)	धारा 80 डी के तहत कटौती	20,000	-
(6)	शुद्ध कर योग्य आय [(3)-(4)-(5)]	17,80,000	19,50,000
(7)	शुद्ध कर दायित्व	3,60,360	2,96,400

परिदृश्य-2 : जब ब्याज की आय श्री मोहन के एच.यू.एफ. (मोहन संस एंड एच.यू.एफ.) के नाम पर हस्तांतरित की जाती है तो श्री मोहन के संशोधित कुल कर दायित्व की गणना और एच.यू.एफ. के कुल कर दायित्व की गणना (यह माना जाये कि निवेश एच.यू.एफ. द्वारा किये जाते है)

तालिका 2 : श्री मोहन एवं मोहन संस एंड एच.यू.एफ. की कुल कर योग्य आय एवं आयकर की गणना

क्र. सं.	विवरण	श्री मोहन		मोहन संस एंड एच.यू.एफ.	
		राशि (पुरानी कर दर योजना) (रु.)	राशि (नई कर दर योजना) (रु.)	राशि (पुरानी कर दर योजना) (रु.)	राशि (नई कर दर योजना) (रु.)
(1)	वेतन से आय - मानक कटौती (रु. 12,00,000 - रु. 50,000)	11,50,000	11,50,000	-	-
(2)	ब्याज से आय	-	-	8,00,000	8,00,000
(3)	सकल कुल आय (1+2)	11,50,000	11,50,000	8,00,000	8,00,000
(4)	धारा 80 सी के तहत कटौती	1,50,000	-	1,50,000	-
(5)	धारा 80 डी के तहत कटौती	20,000	-	-	-
(6)	शुद्ध कर योग्य आय [(3)-(4)-(5)]	9,80,000	11,50,000	6,50,000	8,00,000
(7)	शुद्ध कर दायित्व	1,12,840	85,800	44,200	36,400

उपरोक्त तालिका-1 एवं तालिका-2 में की गई कर गणना से स्पष्ट है कि परिदृश्य-2 एवं उसकी तालिका-2 के तहत पुरानी कर योजना में श्री मोहन का व्यक्तिगत आयकर रु. 1,12,840 है और मोहन संस एंड एच.यू.एफ. का कुल कर दायित्व रु. 44,200 है इस प्रकार परिदृश्य-2 में कुल कर रु. 1,57,040 है जो कि परिदृश्य-1 एवं उसकी तालिका-1 में पुरानी कर योजना के अनुसार श्री मोहन के कुल कर रु. 3,60,360 से कम है। अतः श्री मोहन की कुल आय श्री

मोहन की व्यक्तिगत आय और मोहन संस एंड एच.यू.एफ. में बंट जाने से परिदृश्य-2 में पुरानी कर योजना के तहत् कुल रु. 2,03,320 (रु. 3,60,360 - रु. 1,57,040) की बचत होगी।

इसी प्रकार परिदृश्य-2 एवं उसकी तालिका-2 के तहत नई कर योजना में श्री मोहन का व्यक्तिगत आयकर रु. 85,800 है और मोहन संस एंड एच.यू.एफ. का कुल कर दायित्व रु. 36,400 है इस प्रकार परिदृश्य-2 में कुल कर रु. 1,22,200 है जो कि परिदृश्य-1 एवं उसकी तालिका-1 में नई कर योजना के अनुसार श्री मोहन के कुल कर रु. 2,96,400 से कम है। अतः श्री मोहन की कुल आय श्री मोहन की व्यक्तिगत आय और मोहन संस एंड एच.यू.एफ. में बंट जाने से परिदृश्य-2 में नई कर योजना के तहत् कुल रु. 1,74,200 (रु. 2,96,400 - रु. 1,22,200) की बचत होगी।

उक्त उदाहरण में श्री मोहन को एच.यू.एफ. का गठन करने के साथ-साथ स्वयं व उसकी एच.यू.एफ. के लिए नई कर दर योजना का चयन करना अधिक श्रेष्ठ होगा।

उदाहरण-2

श्री श्याम (आयु 52 वर्ष) एक वेतनभोगी व्यक्ति हैं उन्हें वित्तीय वर्ष 2023-24 में रु. 10,00,000 वेतन प्राप्त हुआ है। उनके पास एक पैतृक संपत्ति भी है जो कि किराये पर दी है जिससे रु. 7,50,000 का किराया प्राप्त होता है। वह अपने परिवार के लिए रु. 60,000 का एल.आई.सी. प्रीमियम का भुगतान करते हैं और सार्वजनिक भविष्य निधि (पी.पी.एफ.) में रु. 1,20,000 जमा/निवेश करते हैं। उसका नियोक्ता/कम्पनी उसके वेतन में से भविष्य निधि (पी.एफ.) के लिए रु. 1,75,000 की कटौती करती है।

परिदृश्य-1 : जब पैतृक सम्पत्ति से प्राप्त किराया श्री श्याम की आय मानी जाये तो कुल कर दायित्व की गणना

तालिका 3 : श्री श्याम की कुल कर योग्य आय एवं आयकर की गणना

क्र. सं.	विवरण	राशि (पुरानी कर दर योजना) (रु.)	राशि (नई कर दर योजना) (रु.)
(1)	वेतन से आय - मानक कटौती (रु. 10,00,000 - रु. 50,000)	9,50,000	9,50,000
(2)	प्राप्त किराया - मानक कटौती @30% (रु. 7,50,000 - रु. 2,25,000)	5,25,000	5,25,000
(3)	सकल कुल आय (1+2)	14,75,000	14,75,000
(4)	धारा 80 सी के तहत कटौती	1,50,000	-
(5)	शुद्ध कर योग्य आय [(3)-(4)]	13,25,000	14,75,000
(6)	शुद्ध कर दायित्व	2,18,400	1,50,800

परिदृश्य-2 : जब पैतृक संपत्ति से किराये की आय श्री श्याम के एच.यू.एफ. (श्याम संस एंड एच.यू.एफ.) के नाम पर प्राप्त की जाती है तो श्री श्याम के संशोधित कुल कर दायित्व की गणना और एच.यू.एफ. के कुल कर दायित्व की गणना (यह माना जाये कि निवेश एच.यू.एफ. द्वारा किये जाते है)

तालिका 4 : श्री श्याम एवं श्याम संस एंड एच.यू.एफ. की कुल कर योग्य आय एवं आयकर की गणना

क्र. सं.	विवरण	श्री श्याम		श्याम संस एंड एच.यू.एफ.	
		राशि (पुरानी कर दर योजना) (रु.)	राशि (नई कर दर योजना) (रु.)	राशि (पुरानी कर दर योजना) (रु.)	राशि (नई कर दर योजना) (रु.)
(1)	वेतन से आय - मानक कटौती (रु. 10,00,000 - रु. 50,000)	9,50,000	9,50,000	-	-

क्र. सं.	विवरण	श्री श्याम		श्याम संस एंड एच.यू.एफ.	
		राशि (पुरानी कर दर योजना) (रु.)	राशि (नई कर दर योजना) (रु.)	राशि (पुरानी कर दर योजना) (रु.)	राशि (नई कर दर योजना) (रु.)
(2)	प्राप्त किराया - मानक कटौती @30% (रु. 7,50,000 - रु. 2,25,000)	-	-	5,25,000	5,25,000
(3)	सकल कुल आय (1+2)	9,50,000	9,50,000	5,25,000	5,25,000
(4)	धारा 80 सी के तहत कटौती	1,50,000	-	1,50,000	-
(5)	शुद्ध कर योग्य आय [(3)-(4)]	8,00,000	9,50,000	3,75,000	5,25,000
(6)	शुद्ध कर दायित्व	75,400	54,600	6,500	11,700

उपरोक्त तालिका-3 एवं तालिका-4 में की गई कर गणना से स्पष्ट है कि परिदृश्य-2 एवं उसकी तालिका-4 के तहत पुरानी कर योजना में श्री श्याम का व्यक्तिगत आयकर रु. 75,400 है और श्याम संस एंड एच.यू.एफ. का कुल कर दायित्व रु. 6,500 है इस प्रकार परिदृश्य-2 में कुल कर रु. 81,900 है जो कि परिदृश्य-1 एवं उसकी तालिका-3 में पुरानी कर योजना के अनुसार श्री श्याम के कुल कर रु. 2,18,400 से कम है। अतः श्री श्याम की कुल आय श्री श्याम की व्यक्तिगत आय और श्याम संस एंड एच.यू.एफ. में बंट जाने से परिदृश्य-2 में पुरानी कर योजना के तहत् कुल रु. 1,36,500 (रु. 2,18,400 - रु. 81,900) की बचत होगी।

इसी प्रकार परिदृश्य-2 एवं उसकी तालिका-4 के तहत नई कर योजना में श्री श्याम का व्यक्तिगत आयकर रु. 54,600 है और श्याम संस एंड एच.यू.एफ. का कुल कर दायित्व रु. 11,700 है इस प्रकार परिदृश्य-2 में कुल कर रु. 66,300 है जो कि परिदृश्य-1 एवं उसकी तालिका-3 में नई कर योजना के अनुसार श्री श्याम के कुल कर रु. 1,50,800 से कम है। अतः श्री श्याम की कुल आय श्री श्याम की व्यक्तिगत आय और श्याम संस एंड एच.यू.एफ. में बंट जाने से परिदृश्य-2 में नई कर योजना के तहत् कुल रु. 84,500 (रु. 1,50,800 - रु. 66,300) की बचत होगी।

उक्त उदाहरण में श्री श्याम को एच.यू.एफ. का गठन करने के साथ-साथ स्वयं व उसकी एच.यू.एफ. के लिए नई कर दर योजना का चयन करना अधिक श्रेष्ठ होगा।

निष्कर्ष

एक हिन्दू परिवार के सदस्य मिलकर अपनी व्यक्तिगत आयकर छूट सीमाओं एवं कटौतीयों के अतिरिक्त एच.यू.एफ. के नाम से भी अलग आयकर छूट सीमा एवं कटौती का लाभ उठा सकता है। ऐसा करके एक परिवार अपना कुल देय आयकर कम कर सकता है। दूसरे शब्दों में, एक हिन्दू परिवार एच.यू.एफ. का गठन एक कर नियोजन के उपकरण के रूप में कर सकता है। एक एच.यू.एफ. का गठन आसान है और इसमें कर लाभ भी है लेकिन एच.यू.एफ. का विघटन मुश्किल है और इसके लिए सभी सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। एक हिन्दू अविभाजित परिवार के नाम पर सभी सम्पत्तियाँ एच.यू.एफ. के सदस्यों की होती है न कि किसी व्यक्ति विशेष की। एच.यू.एफ. न केवल कर लाभ प्रदान करता है बल्कि एक पारिवारिक संरचना के भीतर धन प्रबंधन और उत्तराधिकार योजना की सुविधा भी प्रदान करता है। इसलिए एच.यू.एफ. के लाभ और हानि को मध्यनजर रखते हुए ही एच.यू.एफ. के गठन और कर-नियोजन पर विचार किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ सूची

1. शर्मा, एम.एल., शाह, सी.के. और मंगल, एस.के., आयकर, आर. बी. डी. पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2023, पृ.सं. 14.1, 14.2, 14.3, 14.6
2. चौधरी, एन.एल., बरडिया, एस.सी., अग्रवाल, एस., गुप्ता, ए., कुमावत, ए. और खुराना, जे., आय-कर विधान तथा

लेखे, चौधरी प्रकाशन, जयपुर, 2023, पृ.सं. 731, 736, 737

3. माथुर, ए. और माथुर, एस., इनकम टैक्स एंड कम्पनी लॉ अपडेट, जयपुर, 2023, पृ.सं. 5, 9, 12
4. माथुर, ए. और माथुर, एस., इनकम टैक्स एंड कम्पनी लॉ अपडेट, जयपुर, 2024, पृ.सं. 5, 6
5. दी इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, पार्टनरशिप एन्ड एच.यू.एफ.: अ प्रैक्टिसनर्स पर्सपेक्टिव, कमिटी फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सी. ए. फर्म एंड स्माल एंड मीडियम प्रैक्टिसनर्स, दी इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडियानई, नई दिल्ली, 2013, पृ.सं. 125, 126, 135, 139
6. दी इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, टेकनिकल गाइड ऑन टैक्सेशन ऑफ एच.यू.एफ.,डायरेक्ट टैक्स कमिटी, दी इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, 2021, पृ.सं. 5, 6, 14, 15, 21
7. कलिक, एफ., हिन्दू लॉ रिगार्डिंग पार्टीशन विथइन एच.यू. एफ., जर्नल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेटिव रिसर्च, 2018, पृ.सं. 114-117
8. श्रीवास्तव, ए., हिन्दू जॉइंट फैमिलीः एन एनालिसिस, गेहू लॉ रिव्यु, 2022, पृ.सं. 95, 97, 99
9. आयकर अधिनियम, 1961
10. आयकर नियम, 1962
11. एचटीटीपीएसः//टैक्सगुरु.इन/इनकम-टैक्स/बेसिक-प्रोविजनस-एचयूएफ-टैक्स-प्लानिंग-एचयूएफ.एचटीएमएल
12. एचटीटीपीएसः//टैक्सगुरु.इन/इनकम-टैक्स/एचयूएफ-टैक्स-प्लानिंग-इंस्ट्रूमेंट.एचटीएमएल
13. एचटीटीपीएसः//इनकमटैक्सइंडिया.जीओवी.इन/पेजस/डिफॉल्ट.एएसपीएक्स
14. एचटीटीपीएसः//डब्लूडब्लूडब्लू.इनकमटैक्स.जीओवी.इन/आईईसी/एफओपोर्टल/
15. एचटीटीपीएसः//डब्लूडब्लूडब्लू.इंडिया.जीओवी.इन/ऑफिसियल-वेबसाइट-इनकम-टैक्स-डिपार्टमेंट
16. एचटीटीपीएसः//डब्लूडब्लूडब्लू.इनकमटैक्समुम्बई.जीओवी.इन/
17. एचटीटीपीएस/डब्लूडब्लूडब्लू.आईसीएआई.ओआरजी/पोस्ट/डायरेक्ट-टैक्सेज-कमिटी